

राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग
एस.पी.एफ.एम. राजस्थान परियोजना
पी.एम.यू., वित्त भवन, जयपुर
चतुर्थ तल, सी-ब्लॉक, वित्त भवन, जन पथ, ज्योति नगर, जयपुर
टेलिफोन नं.:— 0141-2744056, E-mail - jsfead@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 4(100)FD/EAD/SPFM-PMU/Proc. Training/2019/ 1727-29

दिनांक 17.07.2023

हनुमानगढ में भारी बारिश के कारण बाढ़ की संभावना को मध्य नजर रखते हुये इस विभाग के जारी आदेश क्रमांक F-4(100)FD/EAD/SPFM-PMU/Proc. Training/2019/ 1384-89 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 से दिनांक 21.07.2023 तक हनुमानगढ में आयोजित होने वाले "Foundation Course in Public Procurement (RTPP Act & Rules)" विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थागित किया जाता है।



(आशुतोष वाजपेयी)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त आर्थिक एवं आर्थिक मामलात विभाग

प्रतिलिपी : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. ACP, उप निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर को कोष एवं लेखा विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।



(आशुतोष वाजपेयी)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त आर्थिक एवं आर्थिक मामलात विभाग

